

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश /२२३० /2019 दिनांक : 06.11.2019

सुश्री राज व्यास (RJ0199), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 26.08.2019 से 31.08.2019 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 22.08.2019 ऐच्छिक अवकाश एवं 23.08.2019 से 25.08.2019 व 01.09.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।
2. दिनांक 09.10.2019 से 11.10.2019 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 06.10.2019 से 08.10.2019 एवं 12.10.2019 से 13.10.2019 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित ।

सुश्री व्यास की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से



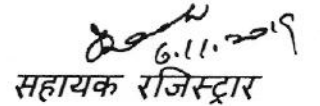
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/02/1996/10468

दिनांक : 6.11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक को उनके पत्रांक 42/66 दिनांक 02.09.2019/16.10.2019 के सन्दर्भ में ।
3. सुश्री राज व्यास (RJ0199), न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय, टोंक ।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ।


सहायक रजिस्ट्रार